

संचालनालय
छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा

ब्लॉक-1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771-2253808, फ़ैक्स : 0771-2254234, ई-मेल : lfacg.cg@nic.in, वेब साईट : www.lfa.cg.nic.in

क्रमांक/सी.एस.ए./प्रशा./219/2019/1789

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26/10/2021

ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की सहमति क्रमांक 208/2145/2015/स्था./चार, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27.02.2021 एवं क्रमांक 843/2145/2015/स्था./चार, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 22.09.2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अधीन संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर एवं अन्य कार्यालय में ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक (तृतीय श्रेणी) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, अधीनस्थ लेखा सेवा भर्ती नियम 1969 एवं छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 2016 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रक्रिया अनुसार पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 05.11.2021 से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की वेबसाईट <https://vyapam.cgstate.gov.in/> पर आमंत्रित किये जाते हैं।

उपरोक्त परीक्षा आयोजन हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

पदनाम-ज्येष्ठ संपरीक्षक, सहायक संपरीक्षक, भर्ती परीक्षा - 2021

- | | |
|---|---|
| 1. आनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि | - 05.11.2021 (शुक्रवार) |
| 2. आनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि | - 22.11.2021 (सोमवार) रात्रि 11:59 बजे तक |
| 3. त्रुटि सुधार | - 23 से 25 नवंबर 2021 |
| 4. व्यापम की वेबसाईट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि | - 02.12.2021 (गुरुवार) |
| 5. परीक्षा की तिथि (संभावित) | - 12 दिसंबर 2021 (रविवार) |
| 6. परीक्षा का समय | - |
| 7. परीक्षा केन्द्र | - प्रदेश के 05 संभागीय मुख्यालयों में |

सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या एवं वेतनमान का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	कुल रिक्त पद	सीधी भर्ती के संगर्गवार रिक्त पद					विहित शैक्षणिक योग्यता	
					संवर्ग/जाति	कुल पद	मुक्त	महिला	निःशक्त		भूपुरै
1	ज्येष्ठ संपरीक्षक	वेतन मैट्रिक्स लेवल - 8 35400	तृतीय	11	अनारक्षित	05	03	02	-	-	कला, विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी स्नातक या उपरोक्त विषय में द्वितीय श्रेणी अधिस्नातक या विधि स्नातक
					अजा	02	02	-	-	-	
					अजजा	03	02	01	-	-	
					अपिव (कीमीलेयर को छोड़कर)	01	01	-	-	-	
					कुल	11	08	03	-	-	
2	सहायक संपरीक्षक	वेतन मैट्रिक्स लेवल - 6 25300	तृतीय	54	अनारक्षित	23	12	07	श्रवण बाधित 01 अस्थि बाधित 01	02	कला, विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी स्नातक
					अजा	06	04	02	-	-	
					अजजा	17	11	05	-	01	
					अपिव (कीमीलेयर को छोड़कर)	08	03	03	अस्थि बाधित 01	01	
					कुल	54	30	17	03	04	

//2//

टीप:- कार्य की प्रकृति – ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक को स्थानीय एवं अधिसूचित निकायों के लेखा परीक्षण कार्य किया जाना है।

आयु सीमा एवं शैक्षणिक अर्हताएँ :-

क्र.	पदनाम	न्यूनतम आयु	परिवीक्षा अवधि	विहित शैक्षणिक अर्हता
1	ज्येष्ठ संपरीक्षक	21 वर्ष	03 वर्ष	कला, विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी स्नातक या उपरोक्त विषय में द्वितीय श्रेणी अधिस्नातक या विधि स्नातक
2.	सहायक संपरीक्षक	18 वर्ष	03 वर्ष	कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक

यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटी.(सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012, एवं 594/2012, में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश /निर्णय के अधीन होगी।

टीप :-

- (i) विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- (ii) पद के समक्ष पुनरीक्षित वेतनमान दर्शाया गया है तथा निर्धारित वेतनमान में शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। परिवीक्षा अवधि में देय वेतन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29.07.2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, जिल -रायपुर के परिपत्र क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.07.2020 के अनुसार ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक, के सीधी भर्ती के पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत राशि स्टाइपेण्ड के रूप में दिया जाएगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जाएगा।
- (iii) निःशक्त और भूतपूर्व सैनिक के पद के विरुद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी का आवेदक होगा उसे हॉरिजेण्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जायेगा।

नियम एवं शर्तें :-

1. दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में आवेदित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा –
क. ज्येष्ठ संपरीक्षक – 21 वर्ष से कम एवं 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, अधीनस्थ लेखा सेवा भर्ती नियम 1969)

- ख. सहायक संपरीक्षक – 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम 2016)

आयु की गणना हेतु काउंसिलिंग (councilling) के समय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आयु में छूट – उच्चतर आयु सीमा में, संबंधितों को छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी। (छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3, अटल नगर रायपुर दिनांक 30.01.2019 से छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 31.12.2023 तक बढ़ाया गया है।) अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेगी। किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
3. चयनित ज्येष्ठ संपरीक्षक को 3 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि में रखा जावेगा। उक्त निर्धारित परिवीक्षाधीन अवधि में विभागीय अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। चयनित सहायक संपरीक्षकों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
4. यदि किसी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से पद रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित (Carry forward) नहीं किये जायेंगे, ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के उपयुक्त पुरुष अभ्यर्थी के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिए वे आरक्षित हैं। परन्तु यह और भी कि यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर निर्धारित संख्या में महिलाएं मेरिट के आधार पर ही उपलब्ध हो जाती हैं तो उस प्रवर्ग में महिलाओं के आरक्षित पदों के विरुद्ध उक्त प्रवर्ग की किसी अन्य महिला अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाएगा।
5. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

6. यदि आवेदक शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में है तो चयनित होने पर उसे नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयनित होने के बाद यह ज्ञात हो कि अभ्यर्थी द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, संज्ञान में आने पर तत्काल बर्खास्तगी की कार्यवाही की जावेगी।
8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थायी जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं उच्च स्तरीय छानबीन समिति से जाति सत्यापन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति काउंसिलिंग के समय अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा प्रदत्त जाति सत्यापन प्रमाणपत्र के अभाव में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के ज्ञाप क. एफ 13-4/2006/आप्र./1-3, नया रायपुर दिनांक 29.06.2013 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय यथा क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर एवं संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर एवं अन्य कार्यालय में पदस्थापना दी जायेगी। भविष्य में आवश्यकता अनुसार अन्य किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय/संचालनालय/अन्य कार्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। ज्येष्ठ संपरीक्षक/सहायक संपरीक्षक का कार्य स्थानीय निकायों का आडिट करना है, अतः इस दृष्टिकोण से चयनित अभ्यर्थी को वर्ष भर प्रवास पर रहना पड़ सकता है।
10. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। परीक्षा/ काउंसिलिंग (counselling) में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।
11. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम सूची विज्ञापित पदों की पूर्ति तक वैध रहेगी।

नोट:- लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा शहर/केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा।

परीक्षा पाठ्यक्रम :-ज्येष्ठ संपरीक्षक/सहायक संपरीक्षक भर्ती परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

क) ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक हेतु सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित एवं हिन्दी विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे।


चयन प्रक्रिया :-

- 1 ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित की जावेगी। परीक्षा उपरांत प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची जारी की जायेगी।
- 2 प्रवर्गवार रिक्तियों के अनुपात में परीक्षा में अधिकतम अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थियों को चयन हेतु चिन्हांकित किया जायेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम पद के विरुद्ध एक समान अंक अर्जित होने पर विभागीय भर्ती नियम में विहित शैक्षणिक अर्हता के प्राप्तांको को वरीयता दी जाएगी। इनमें भी समान अंक होने पर जन्म तिथि को वरीयता दी जाएगी एवं इसमें भी समान होने पर अंतिम निर्णय संचालक छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के पास सुरक्षित रहेगा।
- 3 भर्ती प्रक्रिया के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार नियुक्तकर्ता अर्थात् संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के पास सुरक्षित रहेगा।
- 4 विज्ञापित दोनों पदों हेतु आवेदित उम्मीदवारों की व्यापम द्वारा 200 अंकों की एक ही लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी। परीक्षा उपरांत लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार एवं वर्गवार मेरिट सूची व्यापम द्वारा विभाग को सौंपी जायेगी। मेरिट सूची के आधार पर दोनों पदों पर प्रमाण पत्रों की जांच पश्चात चयन/नियुक्ति की कार्यवाही विभाग द्वारा की जावेगी।
- 5 लिखित परीक्षा में 200 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 200 अंक होंगे।
विवरण निम्नानुसार है:-
अ- सामान्य अध्ययन एवं गणित 100 अंक।
ब- हिन्दी 100 अंक
परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित, एवं हिन्दी विषय के प्रश्न पूछे जायेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 1 अंक दिए जावेंगे। गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे।
- 6 व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।

//5//

- 7 व्यापम द्वारा मेरिट सूची जारी करने के बाद विभाग द्वारा काउंसिलिंग (councilling) की कार्यवाही की जावेगी। अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग (councilling) के समय समस्त दस्तावेज मूल रूप से तथा सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात मेरिट के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी। चयन एवं प्रतीक्षा सूची हेतु आवश्यकतानुसार अभ्यर्थियों को मेरिट अंकों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत किया जावेगा।

परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि तथा परीक्षा संचालक संबंधी निर्देश व्यापम की वेबसाईट <https://vyapam.cgstate.gov.in/> पर देखा जा सकता है।



संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा
नवा रायपुर, अटल नगर